राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(44)/ग्राविवि – 5/पीएमएवाई/मोनी–1/मीटिग/2016–17 जयपुर, दिनांक 4 अगस्त 2016

:: विडियों कॉन्फ्रेंसिग कार्यवाही विवरण::

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में सर्वाधिक लक्ष्य वाले 10 जिलों बांसवाडा, बाडमेर, बून्दी, डूंगरपुर, जालौर, जोधपुर, पाली, प्रतापगढ, सिरोही एवं उदयपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ योजना के शुभारम्भ से पूर्व कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में शासन सचिव महोदय, ग्रावि की अध्यक्षता में दिनांक 03.08.2016 को विडियों कान्फ्रेसिग आयोजित की गई।

बैठक के दौरान अधीक्षण अभिंयता ग्रावि द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के शुभारंभ से पूर्व की जाने वाली आवश्यक तैयारियों के सम्बंध में वरीयता सूची अपलोड करने की प्रगति, टैग अधिकारियों की नियुक्ति, महात्मा गॉधी नरेगा से कन्वर्जेन्स, टैग अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं गत वर्षों के अपूर्ण आवासों की प्रगति की समीक्षा कर, आवासों को पूर्ण कराने हेतु टैग अधिकारी नियुक्त कर नियमित समीक्षा कर पूर्ण कराने बाबत अवगत कराया गया। एजेण्डा बिन्दूओं पर निम्नानुसार चर्चा कर निर्देश प्रदान किये गयेः–

1. SECC-2011 की सूची में आ रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में चर्चा की गई। चर्चा के दौरान परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, (मो एवं मू) द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग के अधिकारी श्री के. सी.कलाकार को इस हेतु दिल्ली भेजा गया है एवं 1 सप्ताह में आवास सॉफ्ट पर भी ग्राम पंचायत/ग्राम प्रदर्शित हो जावेगें।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत वरीयता सूची के सम्बंध में चर्चा के दौरान पुनः अवगत कराया गया कि इस वर्ष आवासहीन व एक कमरा कच्चा आवास के परिवारो को ही आवास आवंटन किया जाना है, पहले जिले में आवासहीन को आवास आवंटित करने के उपरान्त ही एक कमरा कच्चा आवास के परिवारों को आवास आवंटित किया जावे। इसके अतिरिक्त सांसद आदर्श ग्राम योजना में चयनित ग्राम पंचायत, ODF ग्राम पंचायत एवं Rurban कलस्टर एवं राजीविका (NRLM) के अन्तर्गत जिन ग्राम पंचायतों में महिला स्वयं सहायता समूह गठित किये गये हों, के पात्र परिवारों को प्रांथमिकता दी जावें।
3. गत वर्षो के अपूर्ण आवास एवं वर्ष 2016–17 के आवंटित लक्ष्यानुसार टैग अधिकारी लगाये जाने एवं टैग अधिकारियों की सूची व मो. न मय लाभार्थियों के नाम . (Excel File) मुख्यालय को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। राजीविका के तहत संचालित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को भी टैग अधिकारी के रूप में नामित किया जा सकता है।
4. वर्ष 2011–12 से 2014–15 में इन्दिरा आवास योजना के अपूर्ण आवासों के लाभार्थियों के सीबीएस खातें फ्रिज करने की कम प्रगति के मध्यनजर जॉब आउटसोर्सिग आधार पर कार्यकरा सभी लाभार्थियों के खातें एक सप्ताह में फ्रिज कराने के निर्देश दिये गये।
5. महात्मा गॉधी नरेगा योजना से कन्वर्जेन्स की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए प्राथमिकता से लाभार्थियों को मस्टररोल जारी करने के निर्देश दिये गये। इस हेतु मस्टररोल ग्राम पंचायत स्तर से जारी करने को प्राथमिकता देने हेतु निर्देशित किया गया।
6. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत वरीयता सूचियों (स्वीकृत होने के सम्भावित वित्तिय वर्ष की सूचना के साथ) का ग्राम पंचायत में वॉल पेंटिग एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने के निर्देश दिये गये।
7. टैग अधिकारियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अरावली संस्थान के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाडा व प्रतापगढ जिलों में एक सप्ताह में प्रशिक्षण प्रारम्भ कर दिये जावेंगें।
8. सेक–2011 एवं पीएफएमएस से सम्बंधित समस्याओं हेतु सम्बंधित अधिकारियों के मों.न. व ई–मेल आईडी उपलब्ध कराकर निराकरण बाबत सम्पर्क करने का सुझाव दिया गया।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न की गई।

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एंव पंरावि।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू), को वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्राविप्र), समस्त।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)